चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक PA/3403
दिनांक 06.03.2021

सेवा में,
प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अवशेष रह गये संस्थानो / पाठ्यक्रमों का अनुमन्य सीटों संख्या एवं शुल्क के सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्रांक संख्या –24 / 2021 / 772 / 23–03–2021–4 (358) / 07 टी.सी. दिनांक 01 मार्च, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अवशेष रह गये संस्थानों / पाठ्यक्रमों का अनुमन्य सीट एवं शुल्क का सत्यापन 05 मार्च से 10 मार्च, 2021 तक किया जाना है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि समाज कल्याण अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के द्वारा जारी किये गये समय–सारणी के क्रम में अवशेष रह गये महाविद्यालय / संस्थानों में सचांलित पाठ्यक्रमों की अनुमन्य सीट एवं शुल्क लॉक करा ले। उक्त कार्य में महाविद्यालय / संस्थान द्वारा कोई शिथिलता बरती जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं महाविद्यालय / संस्थान का होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

06-03-2021

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव कुलपति-- मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. प्रतिकुलपति, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।

कुलसचिव

GAR / 01/03/2021

संख्या–27 / 2021 / 112 / 26–3–2021–4(358) / 07 टी0सी0–III

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक ~~फरवरी~~ 01 मार्च, 2021

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में सभी वर्गों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्थान स्तर पर अग्रसारित करने हेतु अवशेष आवेदनों के अग्रसारण एवं विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर अवशेष रह गये संस्थानों/पाठ्यक्रमों का अनुमन्य सीटों संख्या एवं शुल्क के सत्यापन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3849/स0क0/शिक्षा–अ/07/28/2020–21, दिनांक–27.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र–2020–21 में सभी वर्गों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संस्थान स्तर पर अग्रसारित करने हेतु अवशेष आवेदनों के अग्रसारण एवं विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर अवशेष रह गये संस्थानों/पाठ्यक्रमों का अनुमन्य सीटों संख्या एवं शुल्क के सत्यापन किये जाने के संबंध में शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संख्या–07/2021/193/26–3–2021–4 (358)/07 टी0सी0–III दिनांक 15–01–2021 द्वारा निर्गत समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के संस्था स्तर से अग्रसारित होने से रह गये छात्र/छात्राओं हेतु

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)
1	2	3
1	प्रदेश के अन्दर व बाहर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा लॉक करने से अवशेष रह गये शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं फीस आदि का अंकन करना तथा उसकी प्रमाणिकता को ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना। **(केवल अवशेष रह गयी संस्थाओं हेतु)**	05 मार्च, 2021 से 10 मार्च, 2021 तक
2	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से लॉक करने से अवशेष रह गए संस्थानों के प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस	12 मार्च, 2021 से 13 मार्च, 2021 तक

	का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना। **(केवल अवशेष रह गयी संस्थाओं हेतु)**	
3	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	10 मार्च, 2021 तक
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	04 मार्च, 2021 से 08 मार्च, 2021 तक
5	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	09 मार्च, 2021 से 12 मार्च, 2021 तक
6	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	13 मार्च, 2021 से 18 मार्च, 2021 तक
7	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	13 मार्च, 2021 से 15 मार्च, 2021 तक
8	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 01 दिन के अन्दर विलम्बतम 16 मार्च, 2021 तक
9	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	14 मार्च, 2021 से 17 मार्च, 2021 तक
10	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	18 मार्च, 2021 से 19 मार्च, 2021 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	22 मार्च, 2021 तक
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	24 मार्च, 2021 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/ छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	25 मार्च, 2021 तक

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020–21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0– 24 /2021/772 (1)/26–3–2021 तद्‌दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6– निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 **द्वारा** निदेशक, समाज कल्याण।
10– गार्ड फाईल।

28/02/21

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव